

:: आदेश ::

अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्र संख्या 2414/8भू0अ0 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123(507) (हर्वटपुर से बड़कोट बैण्ड) के किमी 75.00 से 101.00 तक (थायरी खड्ड डामटा से नौगांव ब्लाक) तक भाग के दो लेने चौड़ीकरण निर्माण हेतु 63.720 हे० भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/१०का०/विविध-जांच/2015-16 दिनांक 16.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक कुवां, राजस्व उपनिरीक्षक गातू एवं राजस्व उपनिरीक्षक कण्डारी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तहसील बड़कोट के अन्तर्गत प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं० 344 रक्बा 1.095हे०, ग्राम कण्डारी में खसरा सं० 1121 रक्बा 3.000, 1136 रक्बा 0.209, 1145 रक्बा 2.000, 1147 रक्बा 2.928 हे०, 1151 रक्बा 1.750 हे०, 1149 रक्बा 6.019 हे० ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं० 2663 रक्बा 5.000 हे० एवं ग्राम खिर्मू में खसरा सं० 01 रक्बा 3.550 हे० खसरा सं० 7 रक्बा 7.634 हे०, 8 रक्बा 6.757 हे० ग्राम सिंगुणी में खसरा सं० 318 रक्बा 2.535 हे० 319 रक्बा 7.986 हे०, ग्राम फिपियारा के खसरा सं० 955 रक्बा 6.205 हे०, 956 रक्बा 7.052 हे०, कुल 63.720 हे० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई ईमारती वृक्ष, गौचर, घनघट या सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिये जाने हेतु संस्तुति की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत मौर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुने भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं० 344 रक्बा 1.095हे०, ग्राम कण्डारी में खसरा सं० 1121 रक्बा 3.000, 1136 रक्बा 0.209, 1145 रक्बा 2.000, 1147 रक्बा 2.928 हे०, 1151 रक्बा 1.750 हे०, 1149 रक्बा 6.019 हे० ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं० 2663 रक्बा 5.000 हे० एवं ग्राम खिर्मू में खसरा सं० 01 रक्बा 3.550 हे० खसरा सं० 7 रक्बा 7.634 हे०, 8 रक्बा 6.757 हे० ग्राम सिंगुणी में खसरा सं० 318 रक्बा 2.535 हे० 319 रक्बा 7.986 हे०, ग्राम फिपियारा के खसरा सं० 955 रक्बा 6.205 हे०, 956 रक्बा 7.052 हे०, कुल 63.720 हे० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी,अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

N.H. Division, P.W.D.
Barkot (Uttarkashi)

(विनय शंकर पाण्डेय)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2153 /आठ-एम0बी0 (2012-13)

दिनांक 12 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
- 2- प्रभागीय बनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट ।
- 4- तहसीलदार, बड़कोट।

Photo Copy Attested

Asistant Engineer
NH. Division, P.W.D.
Barkot (Uttarkashi)

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

AE/अमीन
सूचना श्रेणी भावने 3
16/02/2016

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 174/08-भू0अ0/123(507) दिनांक दिनांक 02.02.2024 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507)के कि0मी0 75.00 से कि0मी0101.00(थातरी खड्ड से मुराडी)तक मोटर मार्ग के 2लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 हे0भूमि वन गैरबागवानी कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 170/र0का0-भूमि विक्रय/2022-23 दिनांक 09 फरवरी,2024 जो उप जिलाधिकारी,बड़कोट द्वारा संस्तुति अग्रसारित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल भूमि तहसील बड़कोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:-00031 मध्ये खसरा संख्या:856/0.0742,852म0/1.746,126/2.111,125/0.571हे0,123/0.391,67/1.375,56/0.352,53/1.615,5/1.214 कुल रक्वा 10.117 हे0 व ग्राम कलोजगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या: 1380/3.641,968/3.195,2187/6.243 कुल रक्वा 13.079हे0 एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या: 00012 मध्ये खसरा संख्या 327म0/5.266 कुल योग 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या:2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 एवं तहसीलदार,बड़कोट/उप जिलाधिकारी,बड़कोट से प्राप्त प्रस्ताव/जांच आख्यानसार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि तहसील बड़कोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:-00031 मध्ये खसरा संख्या:856/0.0742,852म0/1.746, 126/2.111,125/0.571हे0,123/0.391,67/1.375, 56/0.352, 53/1.615,5/1.214 कुल रक्वा 10.117हे0 ग्राम कलोजगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या: 1380/3.641,968/3.195,2187/6.243 कुल रक्वा 13.079हे0 तथा ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1429 से 1434 के खाता संख्या: 00012 मध्ये खसरा संख्या 327म0/5.266 कुल योग 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग9(3)ड. के नाम दर्ज अभिलेख है,को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (वन विभाग) के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

दिनांक 12 फरवरी,2024

ह0/-डॉ0मेहरवान सिंह विष्ट,
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3538 /ग्यारल-विविध (2023-24) दिनांक 13 जनवरी,2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बड़कोट।
- 2- अधिशाली अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।



::आदेशः

इस कार्यालय के पत्र संख्या:3538/ग्यारह-विविध (2023-24) दिनांक 13 फरवरी,2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे। जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-123(507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00(थातरी खड्ड से मुराडी) तक मोटर मार्ग के 2लेन चौडीकरण हेतु 31.86हे० भूमि वन गैरवागवानी कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल भूमि उपलब्ध कराने को अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार, बडकोट ने अपने पत्र संख्या:170/र०का०-भूमि विक्रय/2022-23 दिनांक 09 फरवरी,2024 जो उप जिलाधिकारी, बडकोट द्वारा संस्तुति अप्रसारित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक हेतु दोगुनी सिविल भूमि तहसील बडकोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:00031 मध्ये खसरा संख्या:856 रक्वा 0.742हे०, 852म० रक्वा 1.746हे०, 126 रक्वा 2.111हे०, 125 रक्वा 0.571हे०, 123 रक्वा 0.391हे०, 67 रक्वा 1.375हे०, 56 रक्वा 0.352, 53 रक्वा 1.615हे०, 50 रक्वा 1.214हे०, कुल रक्वा 10.117हे० व ग्राम कलोज गांव की नॉन जेड०ए० खतौनी फसली वर्ष-1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या:1380 रक्वा 3.641हे०, 968 रक्वा 3.195हे०, 2187 रक्वा 6.243हे० कुल रक्वा 13.079हे० एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड०ए० खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या:00012 मध्ये खसरा संख्या:327म० रक्वा 5.266हे० कुल रक्वा 28.462हे० भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या:2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 एवं तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, बडकोट से प्राप्त प्रस्ताव /जांच आख्यानुसार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि तहसील बडकोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:00031 मध्ये खसरा संख्या:856 रक्वा 0.742हे०, 852म० रक्वा 1.746हे०, 126 रक्वा 2.111हे०, 125 रक्वा 0.571हे०, 123 रक्वा 0.391हे०, 67 रक्वा 1.375हे०, 56 रक्वा 0.352, 53 रक्वा 1.615हे०, 50 रक्वा 1.214हे०, कुल रक्वा 10.117हे० व ग्राम कलोज गांव की नॉन जेड०ए० खतौनी फसली वर्ष-1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या:1380 रक्वा 3.641हे०, 968 रक्वा 3.195हे०, 2187 रक्वा 6.243हे० कुल रक्वा 13.079हे० एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड०ए० खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या:00012 मध्ये खसरा संख्या:327म० रक्वा 5.266हे० कुल रक्वा 28.462हे० भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट(वन विभाग) के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

दिनांक 12 फरवरी,2024

ह०/-डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट,
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

4461
संख्या: / ग्यारह-विविध (2023-24)
कार्यालय जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 29 अप्रैल,2025

- 1- तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बडकोट।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग ,लोक निर्माण विभाग, बडकोट।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट


अपर जिलाधिकारी
29/04/25
उत्तरकाशी।